

राजस्थान – सरकार  
शिक्षा – विभाग  
**निदेशालय कालेज शिक्षा**

क्रमांक:एफ4(406)5।।/अकाद/निकाशि/12-13/674 दिनांक: १ अगस्त, 2012

आदेश

इस निदेशालय के पत्र क्रमांक एफ4(406)5।।/अकाद/निकाशि/12-13/407 दिनांक 31.07.2012 जिसके के द्वारा क्रम संख्या 48 पर राजकीय महाविद्यालय, उनियारा को कला संकाय में एक अतिरिक्त वर्ग स्वीकृत किया गया था, के स्थान पर राजकीय महाविद्यालय, नागौर पढ़ा जावे।

राजकीय महाविद्यालय, नागौर को अतिरिक्त नवीन वर्ग की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि:—

- पूर्व में स्वीकृत वर्गों में स्थान रिक्त नहीं है तथा नये वर्गों के लिए पर्याप्त संख्या में विद्यार्थियों के आवेदन लम्बित है।
- विद्यार्थियां को प्रवेश प्रवेश नीति 2012-13 के अनुसार ही दिया जावे।
- नये स्वीकृत वर्गों में प्रवेश हेतु Defaulter (ऐसे छात्र छात्राएं जो निर्धारित अन्तिम तिथि तक भी शुल्क जमा नहीं करा पये) को भी सम्मिलित करें। इन नये स्वीकृत वर्गों में शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि 08 अगस्त, 2012 है।

अतिरिक्त वर्गों की स्वीकृति वित्त विभाग के एम.आर. संख्या 101202820 दिनांक 31.07.2012 के द्वारा प्रदान कर दी गई है।

(सुंबीर कुमार)  
निदेशक

क्रमांक:एफ4(406)5।।/अकाद/निकाशि/12-13/674-85 दिनांक: १ अगस्त, 2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- विशेषाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- कुल सचिव, विश्वविद्यालय, अजमेर/जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा।
- संयुक्त निदेशक, अकादमी/अनुदान/कार्मिक/स्थापना, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- सम्बन्धित प्राचार्य।
- सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
- डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

०१०  
(डॉ. सी.एम. खटीक)  
संयुक्त निदेशक